पत्रांक–यो0मो0–5 (अन्तर्राज्यीय) 01–12/01 (भाग–II)– 422

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक– राम पुकार रंजन
अभियंता प्रमुख(मध्य)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, पटना/डिहरी/औरंगाबाद/भागलपुर एवं गया।

पटना, दिनांक– 05-8-14

विषय– दिनांक 01.07.2014 को सम्पन्न बिहार झारखंड सचिव स्तरीय अन्तर्राज्यीय बैठक की कार्यवाही के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग– जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक यो0 मो0–5/अन्तर्राज्यीय 01–12/01 (भाग–II)-418 दिनांक–05–08–2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रासंगिक पत्र एवं बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथावत्।

विश्वासभाजन,

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

पत्रांक–यो0मो0–5 (अन्तर्राज्यीय) 01–12/01(भाग–II) - 422 पटना, दिनांक– 05-8-14

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अँचल सं0–1/2/3/जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावत् ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

पत्रांक–यो0मो0–5 (अन्तर्राज्यीय) 01–12/01(भाग–II)- 422 पटना, दिनांक– 05/8/14

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता प्रभारी कम्प्टर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावत् ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख(मध्य)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BHADURI SIR.DOCX\bhaduri sir.doc

पत्रांक – यो0मो0–5 / अं0रा0 / 1–12 / 01–भाग – II – 418

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक

दीपक कुमार सिंह
सचिव

सेवा में

श्री अविनाश कुमार
सचिव
जल संसाधन विभाग
झारखण्ड सरकार
राँची ।

/ पटना, दिनांक 5/8/2014

विषय दिनांक 01.07.2014 को सम्पन्न बिहार एवं झारखण्ड के बीच सचिव स्तरीय अंतर्राज्यीय बैठक की कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 2/PMC-172/2012-625 दिनांक 30-07-2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रासंगिक पत्र से प्राप्त बैठक की कार्यवाही अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

5/8/14

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\bhaduri sir.doc

O/C

दिनांक 01.07.2014 को बिहार–झारखण्ड राज्य के बीच सचिव स्तरीय बैठक की कार्यवाही

बिहार एवं झारखण्ड के बीच सचिव स्तरीय अन्तर्राज्यीय बैठक दिनांक 01.07.2014 को आयोजित हुई, जिसमें दोनों राज्यों के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

इस बैठक के पूर्व दिनांक 19.06.2014 को बिहार–झारखण्ड राज्यो के बीच एक तकनीकी बैठक आयोजित हुई है, जिसमे दोनो राज्यों के उभयनिष्ठ परियोजनाओं पर विचार करने हेतु सचिव स्तरीय बैठक के लिये तैयारी की गयी है।

उभय पक्षों की सहमति से निम्न योजनाओं के विभिन्न पहलुओ पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये है :–

1. **उत्तर कोयल जलाशय योजना :**

1.1 गत दिनांक 07 नवम्बर, 2013 के बैठक के अनुसार जलाशय स्तर को कम कर वन्यप्राणी आश्रयणी के डूब क्षेत्र को कम करने के प्रस्ताव पर बिहार राज्य से मंतव्य प्राप्त कर झारखण्ड राज्य द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के स्वीकृति हेतु दाखिल करना था। मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अध्ययन हेतु समिति गठित की जा रही है। समिति के निर्णय के उपरान्त झारखण्ड को बिहार का मंतव्य भेज दिया जाएगा।

1.2 उत्तर कोयल मुख्य नहर के झारखण्ड भाग में अवस्थित अनावश्यक आउटलेट्स अभी तक हटाये नहीं गये हैं एवं वि०दू० 103.00 पर लगभग 2800 क्यूसेक जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। निर्णय हुआ कि झारखण्ड सरकार द्वारा अनावश्यक आउटलेट्स से जल की बर्बादी रोकने के लिये अविलम्ब कार्रवाई की जाय। अभी जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है उसके क्रियान्वयन के उपरान्त अनावश्यक आउटलेट्स स्वतः बन्द हो जायेंगे। 0.00–103.00 आर०डी० के बीच क्षतिग्रस्त लाईनिंग भाग के कार्य का प्राक्कलन 14.75 करोड़ राशि के लिये मुख्य अभियंता, औरंगाबाद द्वारा तैयार कर मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराया गया है। बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन त्रूटिपूर्ण है। फलस्वरूप, इसमें समुचित सुधार की आवश्यकता है। प्राक्कलन में समुचित सुधार कर 10 जुलाई, 2014 तक झारखण्ड द्वारा बिहार को समर्पित करने हेतु आश्वासन दिया गया। इस संशोधित प्राक्कलन पर बिहार द्वारा केन्द्रीय रूपांकण संगठन से vetting कर, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य सम्पन्न कराया जाएगा ताकि अगले खरीफ (2015) के पूर्व कार्य समाप्त करना संभव हो सके।

1.3 झारखण्ड सरकार द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के संयुक्त अवयवों पर किये गये व्यय के विरूद्ध 39.8452 करोड़ की माँग की गई थी। इसके विरूद्ध 19.76 करोड़

राशि का भुगतान बिहार द्वारा झारखण्ड को किया जा चुका है। शेष राशि ~~के संबंध~~ ~~में~~ बिहार द्वारा firm up होने के पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

1.4 उत्तर कोयल के 60.90 RD पर क्षतिग्रस्त Acquaduct का निर्माण किया जा रहा है। झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया कि वर्त्तमान में लगभग 600 cusec जल प्रवाहित हो रहा है एवं जल प्रवाहित होने में कोई बाधा नहीं है। कराए जा रहे कार्य को 10 दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।

2. **बटाने जलाशय योजना :**

2.1. योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन झारखण्ड से दिनांक 26.06.2014 को मुख्य अभियंता, औरंगाबाद को प्राप्त हुआ है। बिहार भाग का प्राक्कलन बना लिया गया है। समेकित प्राक्कलन 15 दिनों के अन्दर बिहार के द्वारा बना कर केन्द्रीय जल आयोग को भेजा जाएगा।

2.2. स्पीलवे गेट के restoration एवं डैम के दो स्लूईस गेट का अधिष्ठापन झारखण्ड द्वारा नहीं किया गया है। welded गेट का restoration एवं डैम के दो स्लूईस गेटो को अधिष्ठापित करने की कार्रवाई झारखण्ड सरकार द्वारा शीघ्र की जाएगी। झारखण्ड सरकार द्वारा कुल उपयोगिता प्रमाण 2607.39 लाख की दी गई थी। इसमें से 2310.97 लाख बिहार के हिस्से का है, जिसमें से कुल (1480.27+48.945)= 1529.215 लाख झारखण्ड को दिया जा चुका है। मार्च, 2013 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आलोक में 781.755 लाख शेष राशि का भुगतान झारखण्ड को पुनरीक्षित प्राक्कलन की समीक्षोपरान्त स्वीकृति के पश्चात् की जायेगी।

3. **बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना :**

3.1. झारखण्ड भाग के 14.36–45.72 कि०मी० के बीच मुख्य नहर के मिट्टी एवं लाईनिंग के अवशेष कार्य 30.06.2015 तक पूर्ण होने की सूचना दी गई। साथ ही मुख्य नहर की संरचनाओं एवं वितरणी का कार्य भी शीघ्र पूरा करने पर झारखण्ड द्वारा सहमति दी गयी। RD 49.70–52.30 बिहार क्षेत्र में अवस्थित है, जिसे एक ही स्तर पर निर्माण किए जाने हेतु झारखण्ड द्वारा अनुरोध किया गया। इस पर निर्णय हुआ कि झारखण्ड द्वारा तद्नुसार प्रस्ताव बिहार को शीघ्र दिया जाए।

3.2. योजना से संबंधित बिहार भाग का पुनरीक्षित DPR तैयार है तथा झारखण्ड भाग का भी पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त है। दोनों DPR को समेकित कर पुनरीक्षित DPR की स्वीकृति हेतु कार्रवाई बिहार द्वारा की गई है। CWC को इसे विभागीय पत्रांक 310 दिनांक 27.06.2014 द्वारा भेजी गई है। निर्णय हुआ कि बिहार एवं झारखण्ड राज्यो के संबंधित कार्यपालक अभियंता CWC जाकर कारगर Liaisoning करेंगे ताकि स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो सके।

3.3. झारखण्ड द्वारा बटेश्वरस्थान नहर के पूरी लम्बाई के वास्तविक दूरी एवं Temp Bench Mark (TBM) को फिर से आकलित करने की आवश्यकता बताई गई

हुआ कि बिहार–झारखण्ड के मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति सम्मिलित रूप से पूरी लम्बाई एवं TBM को फिर से जाँच कर लेगी।

4. **तिलैया ढाढर सिंचाई योजना :**

4.1. DVRRC के 112वें एवं 115वें बैठक के कार्यवाही की प्रति झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया। झारखण्ड द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्ष 2004 में सचिव स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार–झारखण्ड के अभनिष्ठ योजनाओं से इसे हटा लिया जाय। इस संबंध में बिहार द्वारा कहा गया कि बिहार सक्षम Forum में अपना प्रतिरोध दर्ज कराने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

5. **अपर सकरी जलाशय योजना :**

5.1. इस योजना के अन्तर्गत बकसोती बराज के निर्माण पर झारखण्ड सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति पूर्व में दी गई है, जिस पर निर्णय हुआ कि बिहार भाग तथा झारखण्ड भाग के catchment के आधार पर जल की उपलब्धता के संबंध में बिहार आकलन कर प्रस्ताव झारखण्ड को भेज दे ताकि औपचारिक सहमति झारखण्ड द्वारा दी जा सके। झारखण्ड राज्य द्वारा यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2004 में अपर सकरी योजना को संयुक्त सूची से हटाने का निर्णय हो चुका है।

6. **इन्दपुरी जलाशय योजना :**

बिहार सरकार द्वारा नये सिरे से विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाने के उपरान्त झारखण्ड द्वारा इस पर विचार करने हेतु सहमति बनी।

7. **मुहाने जलाशय योजना :**

7.1. इस योजना के अन्तर्गत बिहार द्वारा बाराण्डी बराज के निर्माण पर झारखण्ड सरकार द्वारा कहा गया कि PFR सहित प्रस्ताव झारखण्ड सरकार को भेज दिया जाय ताकि समीक्षा के पश्चात् औपचारिक सहमति हेतु विचार किया जा सके।

8. **लीलाजन जलाशय योजना :**

8.1. निर्णय हुआ कि वर्त्तमान में इस योजना पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

9. **धनारजै जलाशय योजना :**

9.1. गत बैठक (07.11.2013 से सचिव/प्रधान सचिव स्तरीय) में यह सहमति बनी थी कि इस योजना में Storage Scheme के बदले Diversion Scheme बनाया जाय। इस संबंध में निर्णय हुआ कि बिहार एवं झारखण्ड के अभियंताओं की एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाई जाय, जो दोनों राज्यो के हितों की रक्षा करते हुए यथाशीघ्र योजना तैयार करेगी। समिति का गठन हेतु दोनों राज्यों के अभियंताओं को शीघ्र नामित करने पर सहमति बनी थी। बिहार द्वारा इस योजना में Storage Scheme के

बदले Diversion Scheme बनाने के लिये तकनीकी समिति गठित कर दी गई तथा झारखण्ड सरकार को प्रति भेज दी गई है। झारखण्ड सरकार से इस योजना में Storage Scheme के बदले Diversion Scheme बनाने पर संयुक्त तकनीकी समिति अध्ययन हेतु शीघ्र गठित करने का निर्णय हुआ।

10. **पुनासी जलाशय योजना :**

10.1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं MOU का प्रस्ताव झारखण्ड राज्य द्वारा बिहार को दिनांक 10.08.2014 तक उपलब्ध कराने पर निर्णय हुआ।

11. **बतरे जलाशय योजना :**

11.1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं MOU का प्रस्ताव झारखण्ड राज्य के द्वारा बिहार को उपलब्ध कराना था। झारखण्ड से अनौपचारिक MOU का ड्राफ्ट बिहार को उपलब्ध कराया गया। झारखण्ड सरकार से औपचारिक सहमति युक्त MOU प्राप्त होने के पश्चात् बिहार द्वारा विचार किया जाएगा।

12. **अन्यान्य :**

12.1. झारखण्ड द्वारा वाणसागर एकरानामा के तहत बिहार को प्राप्त सोन नदी के जल में झारखण्ड के हिस्से की बात कही गयी। साथ ही, बिहार के साथ एक MOU भी करने का आग्रह किया गया। बिहार द्वारा इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।

सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सचिव
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

दिनांक 01.07.2014 को बिहार–झारखंड राज्यों के बीच सचिव स्तरीय बैठक की कार्यवाही में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची

क्रम सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री दीपक कुमार सिंह	सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	1/7/14
2	श्री अविनाश कुमार,	सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	
3	श्री अरविन्द कुमार	अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	1/7/14
4	श्री राम पुकार रंजन	अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार	
5	श्री अशोक कुमार	मुख्य अभियन्ता, यो0मो0 एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	1.7.2014
6	श्री सुरेश पासवान	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,देवघर (झारखण्ड)	1.7.14
7	श्री इन्दुभूषण कुमार	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	1/7/14
8	श्री सुरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदनीनगर	1/7/14
9	ई0 कैलू सरदार	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर	1/7/2014
10	श्री गुंजालाल राम	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी	
11	श्री हरिनारायण	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना	1.7.14
12	श्री जय किशोर	अधीक्षण अभियंता, योजना मोनिटरिंग अंचल–4, पटना	1/7/14
13	श्री राम पदारथ प्र0 शर्मा	अधीक्षण अभियंता, योजना मोनिटरिंग अंचल–3, पटना	01/07/14
14	जय प्रकाश चौधरी	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जसीडीह	1/7/14
15	[illegible]	उप निदेशक, [illegible]	1/7/14
16	विनोद कुमार सिन्हा	का0पा0अभि0, यो0 मो0 प्रम0-18 पटना	1.7.14
17	सुरेश दुबे	का0 अ0 यो0 मो0 अंचल सं0-4, पटना	1/7/2014
18	रामा शंकर प्रसाद	स0 अ0, मो0 एवं मो0 अंचल सं0-4, पटना	01/07/14
19	[illegible]	[illegible]	1/7/14
20	[illegible] कुमार	उपनिदेशक, [illegible]	1.7.14

क्रम सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	रवीन्द्र कुमार झा	कार्यपालक अभि०, [illegible] प्रमंडल - 13	[illegible] 1/7/14
23	इं० सुरेश चौधरी	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया	[illegible] 1/7/2014
24	इं० मनोज कुमार	कार्य० अभि०, बराने सिंचाई कार्य प्रमंडल [illegible] शि० अम्बा, औरंगाबाद	M. kumar 1/7/14
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			